

2. सुविधा का संतुलन:- प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से निहित अपने हक-हिरसे पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः सायलान का अपने हक-हिरसे तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी सायलान के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति:- प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष में साबित हुए हैं। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी आगे किसी अन्य को बेचान व हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं सायलान को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। गैरसायल संख्या 1 द्वारा सायलान के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक गैरसायल संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाड़ा, पटवार हल्का बलाड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा, तहसील जैतारण, जिला-ब्यावर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 4.2087 हैक्टेयर, किस्म बारानी अक्व का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)